लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **के. के. शर्मा,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/19/2021 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 10.03.2021
GCMS NO.:- 2021/99

श्री संजय पुरी पिता शम्भूपुरी गोस्वामी निवासी गुर्जर मौहल्ला, पुरानी आबादी, सैंती चित्तौड़गढ़

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 30.03.2021

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 28.01.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 19/2021/(30.03)/255 दिनांक 10.03.2021 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 30.03.2021 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 30.03.2021 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.03.2021 के माध्यम से अपना पक्ष रखा कि मेरे द्वारा आपके कार्यालय के पत्रांक/सतर्कता समिति/1 (1)–2 बैठक/2019/1834 दिनांक 21.11.20 के प्रकरण संख्या 18/2018 दिनांक 05.07.2018 में हुई कार्यवाही के संबंध में सूचना की मांग की गई थी जो मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है मात्र खानापूर्ति करते हुए लोक सूचना अधिकारी ने जवाब पेश कर दिया है। सतर्कता समिति के बैठक प्रतिवेदन अनुसार उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ को प्रकरण में उक्त कमियों को पूर्ण करवायी जाकर जांच प्रतिवेदन

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 19/2021 (सू.अ.)
श्री संजय पुरी गोस्वामी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

भिजवाने हेतु निर्देश देते हुए उक्त प्रकरण पेण्डिंग रखा उसकी प्रगति रिपोर्ट की मांग की गई जो उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः वांछित सूचना निः शुल्क दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/78 दिनांक 18.03.2021 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह है कि प्रार्थी श्री संजय पुरी गोस्वामी निवासी गुर्जर मौहल्ला गोस्वामी मठ वाली गली, पुरानी आबादी सैंती, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2021 को प्रस्तुत किया, जो इस कार्यालय को प्राप्त होना सही है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2716 दिनांक 01.02.2021 से प्रार्थी प्रार्थना पत्र मूल ही आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना के संबंध में अवगत कराया गया। (प्रति, पत्र के साथ संलगन है।)
3. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराये जाने से अब इस प्रकरण पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2021/78 दिनांक 18.03.2021 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी का आवेदन धारा 6(3) के तहत आयुक्त, नगर परिषद, चित्तौड़गढ़ को जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2020/2716 दिनांक 01.02.2021 से स्थानान्तरित करते हुए प्रति अपीलार्थी को भी उपलब्ध कराई गई है किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के निर्माणाधीन मकानों के संबंध में सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरण संख्या

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 19/2021 (सू.अ.)
श्री संजय पुरी गोस्वामी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

18/2018 दिनांक 05.07.2018 के संदर्भ में कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिनांक 13.02.2020 को विभिन्न ब्लॉक्स के वाल प्लास्तर की जांच 14 स्थानों पर की गई उसकी रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति तथा उक्त प्रकरण में कनिष्ठ अभियंता द्वारा बतायी गई कमियों को पूर्ण करवाने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां चाही गई है जो अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाना नहीं पाया जाता है।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सतर्कता समिति के प्रकरण संख्या 18/2018 दिनांक 05.07.2018 के संदर्भ में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

(के. के. शर्मा)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)
Web Copy - Not Official

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./19/2021(सू.अ.)/300 दिनांकः— 30/03/2021

प्रतिलिपिः—
1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री संजय पुरी पिता श्री शम्भूपुरी गोस्वामी निवासी गुर्जर मौहल्ला, पुरानी आबादी, सैंती, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)